संख्या-52/2017/780/26-3-2017-4(3)/2012 टी.सी.

प्रेषक,

कामता प्रसाद,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांकः 31 मार्च,2017

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवश्यक धनराशि की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10) छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत हो रही बचतों से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-5537/स0क0/शिक्षा-अ/लखनऊ/2016-17 दिनांक-03.03.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गयी आख्या/प्रस्ताव के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक-"2225-01-789-01-20-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति (के0 100 प्रतिशत रा0के0)-21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन में बजट प्राविधान रूपया-18675.00 लाख (रूपये एक अरब छियासी करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) के सापेक्ष सम्भावित बचतो से लेखाशीर्षक-2225-01-789-01-03-21 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति (के0 100 प्रतिशत रा0के0) हेतु धनराशि रूपया-10000.00 लाख (रूपये एक अरब मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध कराये जायेगें।

3- उक्त धनराशि का व्यय योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय अन्य किसी मद में कदापि नहीं किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक खाता/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2017 तक व्यय हो सके।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-83 के आयोजनागत पक्ष के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-03-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति (के0 100 प्रतिशत रा0के0)-21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन के नामें डाला जायेगा तथा व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुर्नविनियोग कर वहन किया जायेगा।

भवदीय,

कामता प्रसाद
अनुसचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-52/2017/780/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।

2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।

5- राज्य योजना आयोग अनु0-1/2, उ0प्र0 शासन।

6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1
पुर्नविनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति (संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)
वित्तीय वर्ष 2016-17

अनुदान संख्या-83- समाज कल्याण

(रूपये लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण — निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण — वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

लेखाशीर्षक-15 डिजिटल कोड में (आयोजनागत)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)	लेखाशीर्षक-15 डिजिट में (आयोजनागत)	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2225-01-789-01-20-21 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित 20-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति (के0 100 प्रतिशत रा0के0)						2225-01-789-01-03-21 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 03-अनुसूचित जाति के दशमोत्तर कक्षाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति (के0 100 प्रतिशत रा0के0)					
21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	18675.00	10400.00	10000.00	10000.00	8675.00	21-छात्रवृत्तियां/छात्रवेतन	110000.00	120000.00	10000.00	10000.00	120000.00
योग	18675.00	10400.00	10000.00	10000.00	8675.00		110000.00	120000.00	10000.00	10000.00	120000.00

1-स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-
क-आवश्यकता के अनुसार बजत है।
2-स्तम्भ-8 में उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्न कारणों से है:- क-मानक मद में राज्य सरकार की यथनमद्ध देयता के सापेक्ष कम बजट प्राविधान/धनराशि कम पड़ने के कारण उक्त धनराशि की आवश्यकता है।
3-प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुर्नविनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुवल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-आर0ई0-849/ई-3- /दस-2017 दिनांक- 31 मार्च, 2017

सेवा में,
महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी प्रथम)
उ0प्र0, इलाहाबाद।

(कमता प्रसाद)
अनुसचिव,
समाज कल्याण विभाग।

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

http://shasana

पृ0संख्या- 52/2017/780/(1)/26-3-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद ।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6- निदेशक, एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

http://shasana